न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	RCMS.No. 2019/00099	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2019		25.11.2019	13.01..2020

श्री गौरखनाथ पिता बद्रीनाथ निवासी गादोला तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

– अपीलार्थी

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के तहत

उपस्थिति :–

1. श्री हरिहर त्रिपाठी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार रसद

–: आदेश :– दिनांक 13.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ आदेश क्रमांक रसद/अभियोग/2017/1794 दिनांक 23.08.2017 एवं निर्णय प्रकरण संख्या 171/2017 दिनांक 23.08.2017 अन्तर्गत धारा 22 EC Act 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थिया द्वारा जरिये प्राधिकार पत्र से संचालित उचित मुल्य की गादोला तहसील प्रतापगढ़ के संबंध में बिना किसी विधिक जांच एवं रिपोर्ट प्रतिवेदन बनाये ही अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र राजनैतिक द्वैषतावश निरस्त कर दिया जिसे बहाल फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण/अप्रार्थी को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद सूचना तामिल रेस्पोडेन्टगण कि ओर से पैरोकार सरकार रसद प्रर्वतन अधिकारी रसद स्वयं उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ से तलब रिकार्ड पत्रावली रिकार्ड पर रखी गई

बहस उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस वकील अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उचित मुल्य गादोला का संचालन 10–12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है उसके विरूद्ध आदिनांक तक कोई शिकायत नहीं रही है और न ही अपीलार्थी को कभी पूर्व में निलंबित भी नहीं किया गया है। वर्तमान में रसद विभाग के कार्मिकों द्वारा राजनैतिक दबाव में बिना किसी युक्ति–युक्त आधारों के मनगढ़त शिकायतों को आधार बना कर अपीलार्थिया का प्राधिकार पत्र निरस्त

177

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

कर दिया है जबकि अपीलार्थी एक शिक्षित बेरोजगार अनुसूचित जाति संवर्ग का व्यक्ति होने तथा उसके पास आय के अन्य स्त्रोत नहीं होने से उसका प्राधिकार पत्र न्यायहित में बहाल फरमाया जावे।

इसी प्रकृम में पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम वासीयान के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा समय पर राशन का वितरण नहीं करने की शिकायत के चलते तथा राजकीय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर उसका प्राधिकारी पत्र निरस्त किया गया है जिसके संबंध में अपीलार्थी को लिखित नोटिस भी ज्ञापित किया गया था। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 28.08.2019 निर्णय जिला रसद अधिकारी दिनांक 23.08.2017 एवं आदेश दिनांक 23.08.2017 तथा प्रकरण में प्रचलित विधियों का गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई शिकायतों के संबंध में जिला रसद अधिकारी अथवा प्रर्वतन अधिकारी रसद द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिवत जांच अथवा रिकार्ड पंजिकाओं अथवा स्टॉक का किसी भी प्रकार से भौतिक सत्यापन किया जाना दर्शित रिकार्ड नहीं पाया गया है तथा वक्त बहस पैरोकार सरकार रसद द्वारा विभागीय निर्णय/आदेश के संबंध में कोई युक्ति–युक्त जवाब भी प्रस्तुत करने में असमर्थ नजर आए है।

ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के एक शिक्षित बेरोजगार होने तथा उसके पास आय के अन्य स्त्रोत नहीं होने के आधार पर एक बारिय अवसर मय हिदायत के साथ प्रदान करते हुए व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी का उचित मुल्य दुकान गादोला का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner